



Revised Certificate of Registration of Society.

I here by certify **GRAMIN UTTAN SHIKSHA SAMITI, GADAIPUR, BUS STAND, GURGAON** registered vide Registration Number **798** Year **1999-2000** with District Registrar/ Registrar, Firm & Societies Haryana, Gurgaon has been allotted a new Registration Number as under mentioned on this 17th day of October (month), 2013 Year under the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 (Haryana Act No. 1 of 2012).

State Code		District Code			Year of Registration			Registration Number					
H	R	0	1	8	2	0	1	3	0	1	0	5	5
Name of the society								Registered Office Address					
GRAMIN UTTAN SHIKSHA SAMITI.								GADAIPUR, BUS STAND, GURGAON					

Issued under my hand at Gurgaon this 17th day of October month, Year 2013




District Registrar
Firms & Societies
Gurgaon ✓

Station: Gurgaon



(वर्ष 1860 का इक्कीसवाँ अधिनियम)

में एतद्वारा प्रेषाणित करता हूँ कि GRAMIN UTHAN SHIKSHA SAMITI.

GADAI PUR, DISTT. GURGAON

-नामक समिति को समिति

पंजीकरण अधिनियम इक्कीस आफ 1860 (तथा पंजाब संशोधन अधिनियम 1957 द्वारा यथा संशोधित) के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक _____ मास 02 11 1999
वर्ष _____ को चण्डीगढ़ में जारी किया गया।

ATTACHED

(SAJJAN SINGH)
ADVOCATE & NOTARY
BURGAON (HARYANA)

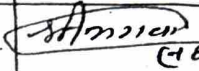
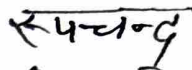
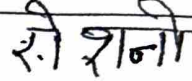
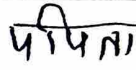
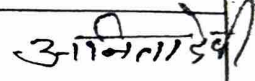
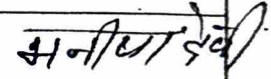
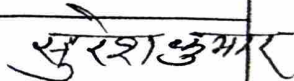
रजिस्ट्रार समितियाँ, हरियाणा

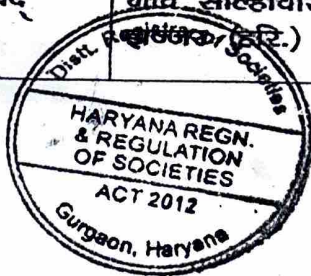
M.D. S. S. 1901
Guthrie & Co.

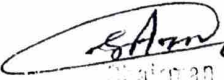
ग्रामीण उत्थान शिक्षा समिति

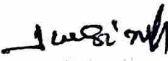
गदाईपुर, बस स्टैण्ड, जिला गुड़गावां (हरियाणा)

कार्यकारणी व आम सभा के सदस्यों की वर्तमान समिति इस प्रकार है।

	नाम	पद	पता	हस्ताक्षर
1.	श्रीभगवान	प्रधान	गांव गदाईपुर, तं. पटौदी जिला गुड़गाँव (हरि.)	
2.	श्री जयसिंह	सचिव	गांव जादूवास, त कोटकासिम जिला अलवर (राज.)	
3.	श्री रूपचन्द	कोषाध्यक्ष	गांव जादूवास, त. कोटकासिम जिला अलवर (राज.)	
4.	श्रीमति रोशनी देवी	उपाध्यक्ष	गांव जादूवास, त कोटकासिम जिला अलवर (राज.)	
5.	श्रीमति पपिता देवी	कार्यकारणी	गांव गदाईपुर, तं. पटौदी जिला गुड़गाँव (हरि.)	
6.	श्रीमति अनिता देवी	आम सभा सदस्य	गांव जादूवास, त कोटकासिम जिला अलवर (राज.)	
7.	श्रीमति मनीषा देवी	आम सभा सदस्य	गांव जादूवास, त कोटकासिम जिला अलवर (राज.)	
8.	श्री सुरेश कुमार	आम सभा सदस्य	गांव सिरोइ त. मुण्डावर जिला अलवर (राज.)	
9.	श्री ओमप्रकाश	शिक्षाविद्	गांव साल्हावास, त. मातनहेल, जिला गुड़गाँव (हरि.)	




Chairman



ग्रामीण उत्थान शिक्षा समिति
गदाईपुर, बस स्टैण्ड, जिला गुड़गावां (हरियाणा)
का
संविधान एवं नियमावली

1. सोसाइटी का नाम .. ग्रामीण उत्थान शिक्षा समिति
2. सोसाइटी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (पूरा डाक पता).. गदाईपुर, बस स्टैण्ड, जिला गुड़गावां (हरियाणा) में होगा।
3. सोसाइटी हरियाणा राज्य के क्षेत्र के भीतर सभी जिलों में अपनी मुख्य गतिविधियां करेगी।
4. सदस्यता:

(1) सोसाइटी में संस्थापक सदस्यों/मूल अंशदाता सहित अधिकतम 300 सदस्य होंगे।

(2) पात्रता: सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश किए जाने के उद्देश्य से व्यक्ति:

(i) प्रवेश की तिथि को 21 वर्ष की आयु का होना चाहिए,

(ii) सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों में अंशदान करना चाहिए।

(iii) प्रवेश फीस तथा वार्षिक अंशदान फीस जमा करने चाहिए तथा सदस्य के रूप में बने रहने के लिए वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि को ऐसी फीस के भुगतान के बकाया में नहीं होने चाहिए।

(iv) दिवालिया तथा विकृत चित नहीं होना चाहिए।

(v) एक वर्ष या अधिक के कारावास वाले नैतिक अद्यमता वाले किसी अपराध का सिद्धदोष नहीं होना चाहिए।

(3) सदस्यों की प्रकार/किस्म/प्रवर्ग: सोसाइटी निम्न अनुसार सदस्यों के चार विभिन्न प्रवर्गों की होगी:

(i) संस्थापक सदस्य-सदस्य जो सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के समय पर संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है तथा सोसाइटी को अपेक्षित सदस्यता फीस का भुगतान कर दिया है। संस्थापक सदस्यों की संख्या 9 से अधिक नहीं होगी। संस्थापक सदस्य सोसाइटी के आजीवन सदस्य बने हुए भी समझे जाएंगे तथा यदि सोसाइटी के



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

सदस्यों की कुल संख्या 300 से अधिक है, तो निर्वाचन के बिना कॉलिजियम के सदस्य होने के नाते विशेषाधिकार रखेंगे।

(ii) आजीवन सदस्य:- किसी व्यक्ति के विहित फीस के भुगतान पर आजीवन सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है तथा ऐसा व्यक्ति उसके जीवन के लिए सोसाइटी के सदस्य के रूप में बना रहेगा। आजीवन सदस्यों की कुल संख्या 100 से अधिक नहीं होगी।

(iii) साधारण सदस्य -सोसाइटी में कुल 188 साधारण सदस्य होंगे जो उनकी वार्षिक अंशदान फीस के भुगतान के बकाया में न होने तक केवल अपनी सदस्यता का निरन्तर उपभोग करेंगे। साधारण सदस्य को पदावधि. सदस्य के रूप में अर्थात् दो से पांच वर्ष (वर्षों), जैसी भी स्थिति हो, की अवधि के लिए शामिल किया जा सकता है तथा वह उसकी पदावधि के पूरा होने पर सोसाइटी के सदस्य के रूप में समाप्त जब तक रहेगा तब तक दूसरी पदावधि के लिए शासकीय निकाय द्वारा इसे नवीकृत नहीं किया जाता है।

(iv) अवैतनिक सदस्य:-शासकीय निकाय विख्यात प्रतिभा तथा मेरिट के व्यक्तियों को शामिल कर सकती है या जिसकी संस्था सोसाइटी के लिए लाभप्रद के रूप में समझी जाती है या जिसमें सोसाइटी के लिए उत्कृष्ट मेरिट की सेवाएं अर्पित की है या जो सोसाइटी के अवैतनिक सदस्य के रूप में भारत का या किसी अन्य देश का विख्यात नागरिक है, को व्यक्तिगत सहमति प्राप्त करने के बाद किसी सदस्यता या अंशदान फीस के भुगतान के बिना शामिल किया जा सकता है। ऐसे अवैतनिक सदस्यों की संख्या 3 से अधिक नहीं होगी। अवैतनिक सदस्य बैठक में उपस्थित होने तथा विचार विमर्श में सहायक होंगे किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।



(4) सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदान:

(i) सोसाइटी की सदस्यता के लिए दरें तथा वार्षिक अंशदान निम्न अनुसार होगा:

June 2014

[Signature]
Chairman
Haryana Sahi Sahi Samiti

जो सोसाइटी द्वारा अपनी उपविधियों में निर्णित किए जाए			
क्रम संख्या	सदस्य की किस्म	प्रवेश फीस	वार्षिक अंशदान
1.	संस्थापक सदस्य	1100/- रुपए	शून्य
2.	आजीवन सदस्य	5100/- रुपए	शून्य
3.	साधारण सदस्य	1100/- रुपए	500/- रुपए
4.	अवैतनिक सदस्य	शून्य	शून्य

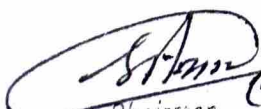
- (ii) सदस्यता के वार्षिक अंशदान का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को देय होगा, जो ऐसे वर्ष के जून के 30वें दिन तक अन्तिम रूप में भुगतान किया जा सकता है। चूककर्ता सदस्य की सदस्यता की सदस्यता देय तिथि (30 जून) के बाद निलम्बनाधीन के रूप में समझी जाएगी तथा ऐसा सदस्य कथित वर्ष की प्रथम जुलाई के बाद कराए गए सोसाइटी के निर्वाचनों के दौरान अपना मत डालने के हकदार नहीं होंगे।



- (ii) वार्षिक अंशदान के भुगतान में चूक के कारण सदस्यता में चूक के कारण सदस्यता का निलम्बन भुगतान योग्य राशि पर 18 प्रतिशत सहित चुकाने के बाद रद्द किया जा सकता है। तथापि, यह सदस्यता के वित्तीय वर्ष के दौरान कराए गए किसी निर्वाचन में अपना मत डालने के लिए पात्र नहीं होगा।

(5) प्रवेश प्रक्रिया (अंशदाता से अन्यथा सदस्यों के लिए):

- सोसाइटी के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति का प्रवेश समय समय पर इसके शासकीय निकाय द्वारा निर्णित किया जाएगा।
- सोसाइटी के सदस्य के रूप में इच्छुक व्यक्ति विहित प्रारूप में, तथा विधिवत भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित तथा सोसाइटी के नियमित सदस्य द्वारा अनुशासित सचिव को समर्थित दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- सचिव आवेदन की जांच करेगा तथा उसे निर्णय के लिए शासकीय निकाय के सम्मुख रखेगा।


Chairman
Haryana Chi. Soc. Regn.

(iv) शासकीय निकाय आवेदन के स्वीकृत या रद्द कर सकता है तथा इस सम्बन्ध में शासकीय निकाय का निर्णय अन्तिम होगा। यह इसके निर्णय के लिए कोई कारण देने हेतु बाध्य नहीं होगा।

(v) शासकीय निकाय का अनुमोदन सदस्य को सूचित किया जाएगा, उसका नाम हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन नियम, 2012 के अधीन तथा विहित ऐसी रीति तथा प्ररूप में रखे जाने वाले सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा तथा उसे सोसाइटी का पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

(6) प्रत्येक सदस्य के लिए पहचान पत्र: सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी के व्यक्तिगत सदस्य तथा सदस्यता प्रवर्ग वाला पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

(7) सदस्यों के अधिकार तथा बाध्यताएं:

(i) सोसाइटी के सभी सदस्य इसकी उपविधियों में तथा समय पर संशोधित सोसाइटी के नियमों तथा विनियमों द्वारा बाध्य होंगे।

(ii) अवैतनिक सदस्य के सिवाए प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी के निर्वाचन में अपना मत डालने का अधिकार होगा परन्तु ऐसा सदस्य सोसाइटी के किसी देयों तथा देय तिथि से आगे तीन मास की अवधि के लिए वार्षिक अंशदान के भुगतान में चूककर्ता नहीं है।



(iii) सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को सात दिन का नोटिस देते हुए किसी कार्य विषय को सोसाइटी की लेखा पुस्तकों, सामान्य बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त वाली पुस्तकों, शासकीय निकाय की बैठकों तथा सदस्यों के रजिस्टर का निरीक्षण करने का अधिकार होगा:

(iv) प्रत्येक सदस्य उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में सोसाइटी को सूचित करेगा, जो सोसाइटी के सदस्यों के रजिस्टर में विधिवत् अभिलिखित किया जाएगा तथा जिसके बाद सोसाइटी ऐसे सदस्य को नया पहचान पत्र जारी करेगी।

(8) सदस्यता की समाप्ति:- सदस्य के रूप में शामिल कोई व्यक्ति निम्नलिखित घटनाओं में सोसाइटी के सदस्य के रूप में नहीं रहेगा।

(i) अधिनियम की धारा 22 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों को आकर्षित करने,

District Registrar of Societies
Gurgaon, Haryana

- (ii) सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रतिकूल उसके कार्य करने पर,
- (iii) ऐसे सदस्य के सोसाइटी की निधियों का वित्तीय गबन का दोषी पाए जाने पर,
- (iv) सोसाइटी के जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार/महा रजिस्ट्रार द्वारा हटाने के लिए अभ्यारोपण तथा निदेशनों पर

5. सामान्य निकाय:

- (1) सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक व्यक्ति सोसाइटी के शासकीय निकाय का सदस्य होगा तथा सोसाइटी के शासकीय निकाय के निर्वाचन के लिए अपना मत डालने के लिए जब तक हकदार होगा तब तक वह वार्षिक अंशदान सहित सोसाइटी के किन्हीं देयों के भुगतान के बकायों में नहीं रहता है।

- (2) प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप में अपना मत डालेगा तथा कोई भी प्रतिपुरुष मतदान अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

6. सामान्य निकाय की बैठकें:

- (1) सोसाइटी के सामान्य निकाय की बैठकें जब भी अपेक्षित हो, बुलाई जाएंगी। तथापि, सोसाइटी के सामान्य निकाय की कम से कम एक बैठक बुलाई जाएगी जैसाकि वार्षिक सामान्य बैठक (ए जी एम) तथा अपेक्षित सोसाइटी के किसी अन्य कारबार के संव्यवहार के अतिरिक्त सोसाइटी के विधिवत लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों के विचारण तथा अंगीकरण के लिए वित्त वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर एक वर्ष में बुलाई जाएगी।
- (2) सोसाइटी का शासकीय निकाय या तो वह स्वयं या सामान्य निकाय के सदस्यों के कम से कम 1/10 से ऐसी बैठक बुलाने के लिए कारणों सहित लिखित मांग की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर इसके अधीन यथा विहित उचित नोटिस देने के बाद किसी समय पर सोसाइटी के सामान्य निकाय की असाधारण बैठक बुला सकता है।
- (3) सामान्य निकाय की किसी बैठक के लिए संव्यहारित किए जाने वाले कारबार के एजेंडे की प्रति बैठक की तिथि, समय तथा स्थान सहित कम से कम 14 दिन का स्पष्ट नोटिस सामान्य निकाय के सदस्यों को दिया जाएगा। ऐसे नोटिस की एक प्रति जिला रजिस्ट्रार को पृष्ठांकित की जाएगी।


Chairman



(4) सामान्य निकाय की बैठक सामान्य निकाय के सदस्यों के बहुमत द्वारा (कुल सदस्यों का कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक) यदि सहमत हों, लघु नोटिस पर भी बुलाई जा सकती है।

(5) सामान्य निकाय की बैठक के लिए गणपूर्ति अधिकतम चार सदस्यों के अध्यक्षीय मत के लिए हकदार तथा व्यक्तिगत रूप में उपस्थित कुल सदस्यों के 40 प्रतिशत से होगी। गणपूर्ति की कमी के लिए स्थगित बैठक की दशा में स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति अधिकतम तीन के अध्यक्षीय, कुल सदस्यों के 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी। सामान्य निकाय किसी विशेष संकल्प के विचारण के सिवाए ऐसी स्थगित बैठक में सभी कार्रबार पूरे करने के लिए सक्षम होगा। कोई विशेष संकल्प केवल ऐसी स्थगित बैठक में पारित किया जाएगा यदि सोसाइटी के कुल सदस्यों का कम से कम 25 प्रतिशत उपस्थित है।

(6) सामान्य निकाय की सभी बैठकों की कार्यवाहियां सचिव द्वारा प्रयोजन के लिए अलग रूप से रखी गई कार्यवृत्त पुस्तक (बांधी गई या खुलने पन्नों में) में अभिलिखित की जाएगी तथा ऐसे कार्यवृत्त बैठक के अध्यक्ष द्वारा सोसाइटी के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

7. सामान्य निकाय की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य:-

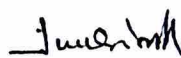
(1) सोसाइटी को इसके लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का अवधारण पूरा करने में गाइड करना।

(2) पालिसी मामलों का निर्णय करना जैसे कि सोसाइटी के संगम ह्रापन तथा उपविधियों में संशोधन, सोसाइटी के वार्षिक लेखों का अनुमोदन, सोसाइटी इत्यादि की अचल परिसम्पत्तियों के निपटान के लिए अनुमोदन तथा सभी ऐसे अन्य कार्य जो हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम तथा नियम, 2012 के अधीन अपेक्षित हों।

(3) शासकीय निकाय के सदस्यों को निर्वाचित करना।

(4) शासकीय निकाय से किसी सदस्य को हटाना तथा आकस्मिक रिक्ति के विरुद्ध शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति को बनाए रखने के लिए अनुमोदन प्रदान करना।


Chairman
Haryana Sahi Sha Seva
10/10/19





8. शासकीय निकाय:-

(1) संयोजन: सोसाइटी का शासकीय निकाय निम्न अनुसार कुल 9 पदाधिकारियों तथा सदस्यों का होगा,

(क) प्रधान

(ख) उप प्रधान

(ग) महा सचिव/सचिव

(घ) खंजाची

(च) शासकीय निकाय द्वारा किसी अवधि के सहयोग सहित पांच कार्यकारी सदस्य।

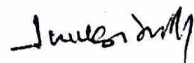
(2) शासकीय निकाय का निर्वाचन

(क) शासकीय निकाय की अवधि निर्वाचन द्वारा इसके निर्वाचन के अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष की होगी।

(ख) शासकीय निकाय निर्वाचनों को करवाने के लिए निर्वाचन की अनुसूची घोषित करेगा तथा रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा तथा निर्वाचनों को करवाने के लिए सामान्य बैटुक को बुलाने से कम से कम 45 दिन से पूर्व मत के हकदार सामान्य निकाय के सदस्यों की सूची भी अधिसूचित/प्रदर्शित करेगा। शासकीय निकाय तिथि, समय तथा रीति सूचित करते हुए सभी सदस्यों को शासकीय निकाय के लिए निर्वाचन करवाने के सम्बन्ध में सूचना जिला रजिस्ट्रार को पर्यवेक्षक नियुक्त करने के लिए भी भेजेगा, यदि वह ऐसी इच्छा करें।

(ग) मत के लिए इकट्ठार सोसाइटी के सदस्यों की सूची के रूप में किसी अक्षेप का सोसाइटी के पदाधिकारियों के साथ परामर्श से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्णीत किया जाएगा। तथापि, रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय राय की किसी भिन्नता की घटना में अन्तिम होगा। उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी शासकीय निकाय के पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन की अनुसूची नामांकन की संवीक्षा तथा वापसी, यदि कोई हो, में विहित अवधि के भीतर दायर किए जाने के लिए नामांकन आमंत्रित करेगा।


District Registrar
District Registrar
District Registrar



(घ) रिटर्निंग अधिकारी सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर चुनाव लड़ने वाले सदस्यों की सूची प्रदर्शित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी अधिसूचित तिथि को निर्वाचन करवाएगा। मत के लिए पात्र सदस्य की स्वयं तथा जहां कहीं विवाद हो, सोसाइटी द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रस्तुति पर अपना मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(ङ) मतदान की तिथि को समय की समाप्ति के बाद, रिटर्निंग अधिकारी परिणाम घोषित करेगा तथा सोसाइटी का शासकीय निकाय गठित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विधिवत हस्तक्षरित शासकीय निकाय के निर्वाचित पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों की सूची 30 दिन के भीतर जिला रजिस्ट्रार के पास दायर करेगा, जो अपनी सन्तुष्टि पर उसका अपना अनुमोदन प्रदान करेगा।

(च) सोसाइटी के पदाधिकारी सोसाइटी की सेवाएं देने के लिए किसी परस्परभ्रमिक के लिए हकदार नहीं होंगे।

(3) शासकीय निकाय की किसी आकांक्षमक शक्ति को भरना।

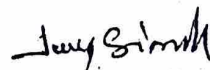
शासकीय निकाय के किसी सदस्य के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण या किसी अन्य कारण से उत्पन्न कोई रिक्ति सोसाइटी की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक करने तक तदर्थ आधार पर सामान्य निकाय के सदस्यों में से, यदि अपेक्षित हो, शासकीय निकाय द्वारा भरी जा सकती है। शासकीय निकाय के ऐसे तदर्थ सदस्य आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि को शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में सम्मिलित हो जाएगा, यदि उसको नियुक्ति शासकीय निकाय की शेष अवधि के लिए बहुमत द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित नहीं की जाती है।

(4) शासकीय निकाय की बैठक

(क) शासकीय निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो बुलाई जाएगी। तथापि, शासकीय निकाय प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगा तथा वित्त वर्ष में शासकीय निकाय की कम से कम चार बैठक होगी।

(ख) प्रत्येक ऐसी बैठक का तीन दिन का स्पष्ट नोटिस बैठक के लिए नियत तिथि से पूर्व पदाधिकारियों तथा सदस्यों को शासकीय निकाय के सचिव द्वारा दिया जाएगा। तथापि, शासकीय निकाय इसके सदस्यों के कम से कम 50 प्रतिशत की सहमति से जब कभी ऐसा अपेक्षित हो, लघु नोटिस पर बैठक कर सकता है।


Chairman
Haryana Sahasra Samiti
Gurgaon


Secretary

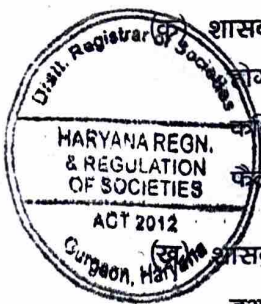


(ग) शासकीय निकाय की बैठकों की गणपूर्ति, अधिकतम 5 सदस्यों के अध्यक्षीन, शासकीय निकाय के कुल सदस्यों के कम 40 प्रतिशत से होगी। यदि गणपूर्ति विद्यमान नहीं है, तो बैठक दूसरी तिथि के लिए स्थगित कर दी जाएगी। जिसके लिए उचित नोटिस जारी किया जाएगा। अधिकतम तीन सदस्यों के अध्यक्षीन स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्य स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति करेंगे।

(घ) शासकीय निकाय की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां इस प्रयोजन के लिए पृथक रूप में रखी गई कार्यवाही पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी। ऐसे कार्यवृत्त बैठक के अध्यक्ष तथा सोसाइटी के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे। यदि अध्यक्ष या सचिव कार्यवृत्त हस्ताक्षर करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो वे शासकीय निकाय द्वारा चया प्राधिकृत बैठक में उपस्थित किन्हीं दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

(ङ) शासकीय निकाय को प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त शासकीय निकाय की परवर्ती बैठक में पुष्टि के लिए रखे जाएंगे।

(5) शासकीय निकाय की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य:-



(क) शासकीय निकाय सोसाइटी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेवार होगा तथा सोसाइटी के सर्वोत्तम हित में कार्य करेगा जिसे लिए इसे कथित उद्देश्यों के लिए सोसाइटी की निधियों तथा परिसम्पत्तियों के प्रभाव के लिए सशक्त किया जाएगा।

(ख) शासकीय निकाय इस द्वारा तथा निर्णीत इसके नाम से निधियां उठाने तथा पूर्णस्वामित्व या पट्टा आधार पर चल तथा अचल सम्पति खरीदने के लिए सक्षम होगा।

(ग) शासकीय निकाय सोसाइटी से सम्बन्धित या में निहित सभी अचल सम्पत्तियों तथा चल परिसम्पत्तियों का सम्पूर्ण प्रभार रखेगा तथा इन्हें ऐसी रीति में प्रबन्धित करेगा जैसा यह सोसाइटी के शासकीय निकाय के सम्पूर्ण नियन्त्रण तथा निर्देशन के अध्यक्षीन उचित समझे।

(घ) ऐसे कृत्यों जो समय समय पर सौंने जाएं, की देखभाल करने के लिए विभिन्न स्थाई या तदर्थ समितियां गठित करना।

June 1991

[Signature]
Chairman
Haryana Co-operative Societies Board

लेन रीति में लिपिकीय, लेखा तथा अन्य कृत्यों की देखभाल करने के लिए सोसाइटी के नियमित या अंशकालिक कर्मचारियों को लगाने के लिए प्रबन्ध सृजित करना।

(च) बाहरी स्रोत से कतिपय कृत करना अर्थात् सोसाइटी के परिसरों की सफाई सुरक्षा तथा समरूप अन्य रखरखाव गतिविधियां।

(6) शासकीय निकाय के व्यक्तिगत सदस्यों की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य:-

(i) प्रधान:-

(क) सामान्य निकाय की तथा शासकीय निकाय की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाहियां नियन्त्रित करना।

(ख) सभी ऐसे कार्य, कर्म तथा काम करना जैसा समय-समय पर सामान्य निकाय तथा/या शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

(ग) किसी मामले पर विचार विमर्श को अनुज्ञात या अस्वीकार करना जो एजेंडे में शामिल नहीं किया जाता है।



सोसाइटी/शासकीय निकाय के उचित तथा पारदर्शी कृत्य करना सुनिश्चित करना।

हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करना।

(च) सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की सम्पूर्ण गतिविधियों/उपलब्धियों का पर्यवेक्षण तथा गाइड करना।

(ii) उप-प्रधान:-

(क) प्रधान की उसके कर्तव्यों को करने में सहायता करना।

(ख) प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान की ओर से कार्य करना तथा सभी कर्तव्यों को पूरा करना तथा सभी शक्तियों का प्रयोग करना।


Chairman
Urban Shiksha Samiti
Gurgaon



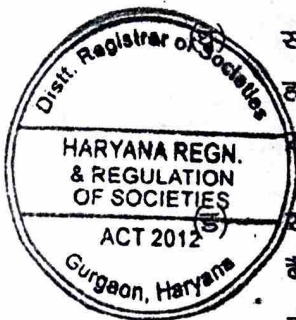
(ग) सभी ऐसे कार्य, कर्म तथा काम करना जैसा शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

(iii) महा सचिव/सचिव:-

(क) सोसाइटी के सभी कार्यों को करना, संधटित करना, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध करना तथा सोसाइटी के कार्य के लिए सभी ऐसे कार्य करना तथा सभी ऐसे कर्तव्य पूरे करना जो प्रधान/शासकीय निकाय द्वारा सौंपे जाए।

(ख) शासकीय निकाय के सम्मुख सोसाइटी की सदस्यता के लिए आवेदन प्राप्त करना, स्वीकृति करना तथा रखना तथा सदस्य का नाम उसके आधक्षर के अधीन सदस्यों के रजिस्टर में, यदि अनुमोदित हो, दर्ज करना तथा उसके बारे में सदस्यों को सूचित करना तथा इस प्रकार शामिल किए गए सदस्यों को पहचान पत्र जारी करना।

(ग) प्रधान की सहमति से सामान्य निकाय/ शासकीय निकाय की बैठक आयोजित करना तथा इन उपविधियों के अधीन यथा विहित उचित नोटिस तामील करना।



सामान्य निकाय तथा शासकीय निकाय की सभी बैठकों में हाजिर होना तथा बैठके करने में प्रधान की सहायता करना तथा सभी बैठकों को कार्यवाहियों का रिकार्ड करना।

सोसाइटी की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य निकाय के सम्मुख उसे रखने के अनुमोदन के लिए सोसाइटी के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों सहित शासकीय निकाय के सम्मुख उसे रखना।

(घ) सोसाइटी/शासकीय निकाय का रिकार्ड रखना तथा परिक्षण करना।

(छ) सोसाइटी/शासकीय निकाय का रिकार्ड रखना तथा परिक्षण करना।

(ज) जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में सभी वैधनिक विवरणी/दस्तावेजों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारों को समय पर दायर करना सुनिश्चित करना जो हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन

District Registrar of Societies
Gurgaon, Haryana

अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित किए जाएं।

- (इ) सोसाइटी की सामान्य मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षक होना तथा शासकीय निकाय के अनुमोदन के अनुसार, जहां कहीं अपेक्षित हो, उसे लगाना।
- (अ) सोसाइटी/शासकीय निकाय की ओर से पत्राचार करना तथा उसकी ओर से पत्रों तथा कागजों पर हस्ताक्षर करना तथा सुनिश्चित करना कि सभी वैधानिक रजिस्टर तथा रिकार्ड को उचित रूप से रखे तथा अनुरक्षित किए जा रहे हैं।
- (ट) निर्वाचन तथा वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि की घोषणा से पूर्व मत के लिए पात्र सदस्यों की सूची तैयार, विधिवत अद्यतन करना तथा शासकीय निकाय के सम्मुख इसे रखना।
- (ठ) सोसाइटी के सभी कार्यक्रमों के प्रशासन तथा निष्पादन के सम्पूर्ण प्रभारी के रूप में कार्य करना/जिसमें पदों का सृजन, वेतन/पारिश्रमिक, भत्तों इत्यादि का नियतन, अमले की नियुक्तियां करने/लगाने, खरीद करने सहित शासकीय निकाय की ओर से वित्तीय कार्य शामिल है तथा सभी अन्य ऐसे काम करना जो समय समय पर शासकीय निकाय द्वारा प्रत्यायोजन अनुसार सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रोत्साहन में आवश्यक हों तथा जहां कोई भी ऐसा प्रत्यायोजन सोसाइटी के प्रधान के परामर्श से विशिष्ट रूप से नहीं किया जाता है।



(iv) खजांची:-

- (क) सोसाइटी के सभी वित्तीय संव्यवहारों तथा सोसाइटी द्वारा प्राप्त तथा खर्च की गई सभी राशियों के लेखे रखना तथा ऐसे मामलों से सम्बन्धित, तथा परिसम्पति, जमा तथा दायित्वों की प्राप्ति तथा खर्चों के रिकार्ड रखना।
- (ख) प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शासकीय निकाय द्वारा नियुक्त चार्टर्ड लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित सोसाइटी के लेखे प्राप्त करना।

Justim

Chairman
उद्योग

- (ग) वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम एक मास पूर्व सोसाइटी के लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखे महा सचिव/सचिव के माध्यम से शासकीय निकाय को प्रस्तुत करना।
- (घ) सोसाइटी की सभी लेखा पुस्तकों, वित्तीय विवरणी, रसीद पुस्तकों, व्यय वाडचरों, बैंक पास बुक तथा चैक बुक, नकदी इत्यादि के सम्पूर्ण अभिरक्षक के रूप में कार्य करना।
- (7) शासकीय निकाय के सदस्यों की समाप्ति-शासकीय निकाय के पदाधिकारी/कार्यकारी सदस्य पदाधिकारी/कार्यकारी सदस्य के रूप में नहीं रहेंगे।
- (क) उसके त्यागपत्र प्रस्तुत करने पर तथा स्वीकृति पर।
- (ख) यदि वह इन उप विधियों के खण्ड 4 के उप खण्ड (8) के अनुसार सदस्य के रूप में नहीं रहा है।
- (ग) यदि उसे सामान्य निकाय की बैठक में पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है।

(8) सोसाइटी के नियोजन से अपवर्जन:-

- (क) सोसाइटी का कोई भी सदस्य सोसाइटी के पूर्ण कालिक या अंशकालिक नियोजन में नहीं रहेगा।



- (ख) शासकीय निकाय के पदाधिकारियों तथा सदस्यों का कोई भी आश्रित या पारिवारिक सदस्य या निकट सम्बन्धी उसकी अवधि के दौरान सोसाइटी के कर्मचारी के रूप में नहीं लगाया जाएगा।
- शासकीय निकाय का प्रत्येक पदाधिकारी तथा सदस्य घोषणा करेगा यदि सोसाइटी के नियोजन में कोई व्यक्ति उसका निकट सम्बन्धी है।

- (9) सोसाइटी के संगम ज्ञापन, उपविधियों नाम इत्यादि में संशोधन:-सोसाइटी के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों या नाम का परिवर्तन, समामेलन या विभाजन में कोई संशोधन विशेष संकल्प के द्वारा केवल सामान्य निकाय के अनुमोदन से किया जाएगा। अपेक्षित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति सहित किसी ऐसे संशोधन या परिवर्तन की सूचना ऐसे समय के भीतर महा सचिव/सचिव द्वारा जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में दायर की जाएगी जो हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण

जिला रजिस्ट्रार

जिला रजिस्ट्रार

तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित की जाए।

(10) सोसाइटी की परिसम्पति तथा निधियों का प्रबन्धन:-

- (i) सोसाइटी की आय के स्रोतों में सदस्यता फीस, वार्षिक अंशदान, सम्पति/परिसम्पति से किराया, ब्याज, परामर्श फीस, दान, उपहार, अनुदान इत्यादि के मदे प्राप्तियां शामिल होंगी। सोसाइटी इसके सदस्यों से ब्याज मुक्त लघु अवधि कर्ज के द्वारा या ब्याज पर अनुसूचित बैंक से भी निधियां ले सकती है। ब्याज पर अनुसूचित बैंक से कर्ज केवल पूंजीगत परिसम्पति के सृजन की खरीद के लिए लेगी तथा न कि किन्हीं परिस्थितियों के अधीन किसी आवर्ती राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए होगी।
- (ii) शासकीय निकाय वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान इसकी अनुमानित आय तथा पूंजीगत तथा राजस्व खर्च के आधार पर सोसाइटी के वार्षिक बजट तैयार करेगा तथा अनुमोदन करेगा तथा सूचना के लिए वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य निकाय के सम्मुख उसकी प्रति भी रखेगा।
- (iii) सोसाइटी के बैंक लेखे ऐसे सदस्यों/ पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किये जाएंगे जो समय समय पर शासकीय निकाय द्वारा निर्णीत किया जाए।



(iv) सभी परिसम्पति तथा निधियां सोसाइटी से सम्बन्धित होंगी तथा सोसाइटी में निहित होंगी।

सोसाइटी की सभी प्राप्तियां तथा भुगतान बैंक दस्तावेजों के माध्यम से किए जाएंगे (अर्थात् डी डी/ पे आर्डर/ चेक/ बैंक ट्रान्सफर/ आर टी जी एस) जिसमें सदस्यों से सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदान की ओ सभी प्राप्तियां शामिल है। तथापि, शासकीय निकाय वित्तीय संव्यवहार की सीमाएं अवधारित कर सकता है जो कतिपय अन्य मामलों में नकद में की जा सकती है।

(11) सोसाइटी के लेखे:-

- (i) सोसाइटी का खजांची आय कर कानून तथा/या किसी अन्य प्राधिकार के अधीन यथा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें अर्थात् रोकड़ बही, लेजर

इत्यादि को रखने तथा अनुरक्षण करने के लिए जिम्मेवार होगा जिसमें सोसाइटी द्वारा प्राप्त तथा खर्च धन की सभी राशियों तथा सोसाइटी की परिसम्पत्ति तथा दायित्वों के सम्बन्ध में इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर भारत की चार्टर्ड लेखाकार की संस्था शामिल है।

(ii) सोसाइटी की लेखा पुस्तकें सोसाइटी के महा रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार या उसी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा तथा किसी सदस्य द्वारा कारबार समय के दौरान निरीक्षण के लिए खुली रखी जाएगी।

(iii) सोसाइटी के वार्षिक लेखे सोसाइटी के किसी दो प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

(iv) शासकीय निकाय ऐसे पारिश्रमिक पर जो शासकीय निकाय द्वारा अवधारित किया जाए, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए सोसाइटी के लेखों की लेखापरीक्षा तथा आयकर विवरणी को दायर करने के लिए चार्टर्ड लेखाकार को नियुक्त करेगा, जो शासकीय निकाय का सदस्य या शासकीय निकाय के किसी सदस्य का पारिवारिक सदस्य नहीं होगा।,,

(12) सामान्य मुद्रा:-सोसाइटी के पास एक सामान्य मुद्रा होगी जो महा सचिव/सचिव की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी तथा शासकीय निकाय द्वारा अनुमोदन के अनुसार जहां कहीं यह अपेक्षित हो, लगाई जाएगी।

(13) सोसाइटी का समामेलन:- सोसाइटी स्वयं को एक समान लक्ष्यों तथा उद्देश्यों सहित स्थापित किसी अन्य सोसाइटी में समामेलित कर सकती है या अधिनियम की धारा 51 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के नियम 25 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार इस निमित्त पारित विशेष संकल्प द्वारा स्वयं में समामेलित हो सकती है।

(14) सोसाइटी का विघटन

(i) सोसाइटी अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार स्वयं को विघटन करने के लिए प्रस्ताव कर सकती है यदि सोसाइटी की प्रक्रिया को चलाना कठिन हो जाता है, या वह दिवालिया हो जाती है या किसी अन्य दबाव तथा अपरिहार्य कारणों से इसे चलाना कठिन हो जाता है।



[Handwritten signature]
 Haryana
 District Registrar of Societies

[Handwritten signature]

(ii) सोसाइटी के विघटन की घटना में, सोसाइटी की कोई भी परिसम्पत्ति सोसाइटी के सदस्यों को मिल जाएगी या में वितरित कर दी जाएगी।

(iii) इसकी परिसम्पत्ति तथा सम्पत्तियां पहले किसी दायित्व को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाएगी तथा छोड़ी गई सम्पत्तियां/परिसम्पत्तियां, यदि कोई हो, समरूप लक्ष्यों तथा उद्देश्यों सहित स्थापित किसी अन्य सोसाइटी को या साधारण लोकहित में उसके प्रयोग के लिए जिला कलैक्टर को अंतरण के लिए विचारी जाएगी।



ALLOWED AND CERTIFIED ONLY AIMS
AND OBJECTIVES COVERED UNDER
THE HARYANA REGISTRATION AND
REGULATION OF SOCIETIES ACT, 2012,
HARYANA ACT NO. 4 OF 2012, CHAPTER-III,
SECTION 6 AND SUB-SECTION I TO XII

Certified to be True Copy

**District Registrar of Firms & Societies
Gurgaon, Haryana**

Signature
Chairman
Gramin Utthan & Vikas Samiti

Signature
Secretary
Gramin Utthan & Vikas Samiti